# शहरी क्षत्रों में फेरी लगाकर व फुटपाथ पर व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए कल्याण कार्यक्रम

भारत मे फेरी लाकर अथवा फुटपाथ पर बैठकर व्यवसाय का प्रचलन प्राचीन काल से चला आ रहा है। इसके लोकप्रिय होने के कई कारण है जिनमें से मुख्य निम्न हैः–

- स्थायी व्यवसाय स्थल उपलब्ध ना होना।
- कम पूंजी में तुरन्त व्यवसाय प्रारम्भ होना।
- बिजली, पानी, नौकर इत्यादि के व्यय नहीं होने से उत्पाद दुकानों की तुलना में जनता को सस्ते उपलब्ध होना।
- वस्तु या सेवा निकट या घर पर उपलब्ध हो जाना।
- छोटे कृषको/उद्यमियों/फल सब्जी उत्पादकों द्वारा फेरी द्वारा सीधी बिक्री से उचित मूल्य मिला जाना व उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर ताजा उत्पाद उपलब्ध होना।

अनेक कारणों से लोगों का गाँवों से शहरों की ओर बडी संख्या में पलायन होने से शहरों में मध्यम व निम्न वर्ग की संख्या में काफी वृद्धि हुइ है। इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण स्ट्रीट वेन्डर्स काफी बढ़े है। बड़ी संख्या में वैण्डर्स द्वारा फुटपाथ पर दुकान लगाकर, फेरी लगाकर उपभोक्ताओं को तुलनात्मक कम मूल्य में सामान उपलब्ध कराकर अपना जीविकोपार्जन किया जाता है, इनमें 10 से 20 प्रतिशत महिलाएँ भी सम्मिलित है। इन व्यवसायियों को अपने व्यवसाय के दौरान अनेक प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यातायात में बाधित होने के कारण प्रशासन को समय–समय इन्हें हटाना पड़ता है। इसके कारण व्यवसायी को आर्थिक नुकसान भी होता है।

भारत सरकार द्वारा गरीब फुटपाथी व फेरी व्यवसायियों की कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए शहरी रोजगार एवं गरीब उपशमन मंत्रालय द्वारा वर्ष 2004 में एक नीति तैयार की गई थी जिसके अनुसरण में राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में फेरी वयवसायियों के लिए कल्याण का बीड़ा उठाया है। राज्य सरकार फुटपाथी व फेरी लगाकर व्यवसाय करने वाले इन व्यवसायियों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह सजग व संवेदनशील

है। इसी उद्धेश्य के सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों, अवसरों, दिनों, समयों के आधार पर हॉकर्स जोन बनाने का निर्णय लिया है। योजनानुसार फेरी वालों का पंजीयन किया जाकर इन्हें संगठित रूप से व्यवसाय करने की सुविधा प्रदान की जायेगी तथा इसके लिये नाममात्र का शुल्क लिया जायेगा। हॉकर्स जोन विकसित करने तथा हॉकर्स के कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन का कार्य नगरीय स्थानीय निकायों और विकास प्राधिकरण आदि के माध्यम से कराया जायेगा।

## फेरी व्यवसायी

वह व्यक्ति जिसके पास स्थायी निर्मित संरचना नहीं होती तथा अस्थायी संरचना या चलती फिरती दुकान (यथा सिर पर टोकरी में, ठेली लगाकर, साईकिल पर इत्यादि) लगाकर सामान विक्रय एंव सेवा प्रदान करता है, फेरी, व्यवसायी की श्रेणी में आता है। राजस्थान में ठेलावाला फुटपाथी व्यवसायी, पटरी वाला, हॉकर इत्यादि नामों से जाना जाता है।

1. **फेरी व्यवसाय हेतु सर्वेक्षणः–**

   शहरों में फेरी व्यवसायियों की पहचान के उद्धेश्य से राज्य के समस्त स्थानीय निकायों द्वारा शहरी सीमा में रहने वाले ऐसे व्यवसायियों का सर्वेक्षण किया जाएगा। यह सर्वेक्षण संलग्न प्रपत्र 'अ' में भरा जायेगा। सर्वेक्षण प्रपत्र लाईसेन्स हेतु प्रार्थना पत्र भी माना जावेगा।

2. **व्यवसायियों का पंजीकरणः–**

   A. **प्रक्रियाः–** सम्बन्धित नगरीय निकाय/निकाय कल्याण समिति उपर्युक्त सर्वेक्षण के आधार पर शहरों के विभिन्न वार्डो, बाजार, मौहल्ले में विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोगों का पंजीकरण करेंगी। नये व्यक्तियों का पंजीयन करने की कार्यवाही निकाय द्वारा निरन्तर प्रक्रिया के अधीन की जायेगी। प्रत्येक पंजीकरण का 3 वर्ष बाद नवीनीकरण किया जायेगा।

   B. **पंजीकरण शुल्कः–** नगर निगम में 20 रूपये, नगर परिषद में 15 रूपये, तथा नगर पालिकाओं में 10 रूपये प्रति व्यवसायी लिया जायेगा।

3. **पहचान पत्रः–**

A. **प्रक्रियाः–** स्थानीय निकाय में पंजीकृत फेरी व्यवसायियों को नाम मात्र का शुल्क लेकर पहचान पत्र दिये जायेंगे जो प्रपत्र 'ब' के अनुसार होगा तथा प्रतिवर्ष कार्य की अनुमति हेतु इसका नवीनीकरण करना आवश्यक होगा। पहचान पत्र देने में वर्तमान व्यवसाय कर रहे व्यवसायियों को वरीयता दी जायेगी तथा विधवा, परित्यक्ता, विकलांग, एस.टी, एस.सी. महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। प्रायः यह देखा जाता है कि मौसम व समय के अनुसार ठेला व्यवसायी अपने बिक्री के सामान को बदलते रहते है। अतः लाइसेन्स में इसको दृष्टिगत रखते हुए पहचान पत्र जारी किये जा सकेंगे। जिसमें अनुमत व्यवसाय का उल्लेख किया जायेगा।

**उदाहरणार्थः–** कोई फुटकर व्यवसायी सर्दियों में मुंगफली, गजक व गर्मियों मे जूस आदि का कार्य करता हो तो उसके पहचान पत्र में इनका अंकन किया जायेगा। उसे अन्य कार्य हेतु पृथक से अनुमति लेनी होगी।

B. **पहचान पत्र शुल्कः–**

1. नगर निगम में 100/– रू0 प्रतिवर्ष
2. नगर परिषद में 75/– रू0 प्रतिवर्ष
3. नगर पालिका द्वितीय श्रेणी में 50/– रू0 प्रतिवर्ष

4. **मासिक सुविधा शुल्कः–**

1. होकर्स जोन में व्यवसाय करने के लिए अनुमति दिये जाने पर ऐसे हॉकर्स से न्यूनतम दर पर मासिक शुल्क की वसूली नगरीय निकाय द्वारा की जायेगी, जिससे वेण्डिंग क्षेत्र के रख रखाव, विकास तथा साफ सफाई का कार्य हो सके। मासिक शुल्क की राशि का निर्धारण सम्बन्धित निकाय हॉकस कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा जो नगर निकाय में जमा कराई जायेगी। जमा राशि का लेखा–जोखा निकाय द्वारा पृथक से रखा जायेगा।
2. हॉकरों को एक कार्ड दिया जायेगा, जिसमें प्रतिमाह जमा की गई राशि का विवरण प्राधिकृत वसूली अधिकारी द्वारा दर्ज किया जायेगा।

3. मासिक शुल्क का निर्धारण चलते फिरते ठेले पर पृथक दर से व अस्थाई सरंचना लगाकर कार्य करने वालो के लिये क्षेत्रफल के आधार पर तय किया जायेगा।

5. **<u>हॉकस मार्केट में देय सुविधाएँः–</u>**

1. कचरे व गन्दगी की सफाई तथा निस्तारण की व्यवस्था।
2. सार्वजनिक शौचालय/मूत्रालय।
3. पेयजल व्यवस्था।
4. पार्किंग व्यवस्था।
5. सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था।
6. सम्भव होने पर संग्रहण सुविधा, शीत भण्डार गृह सुविधा (भुगतान के आधार पर)

ये सुविधाएँ निकाय/नगर विकास न्यास/हाउसिंग बोर्ड/जयपुर विकास प्राधिकरण /रीको जिसका भी क्षेत्र हो, द्वारा प्रदान की जायेगी तथा इसके आवर्तक व्यय का पुर्नभरण वसूल किये गये मासिक शुल्क से किया जा सकेगा। क्षेत्राधिकार या व्यय दायित्व के विवाद का निस्तारण निकाय कल्याण समिति द्वारा किया जायेगा।

6. **<u>फेरी व्यवसाय हेतु क्षेत्र निर्धारणः–</u>**

शहर में सर्वेक्षण के आधार पर आवश्यकता एवं फेरी वालो की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए उपयुक्त स्थान का निर्धारण कर निकाय कल्याण समिति द्वारा सीमाएँ चिन्हित की जायेगी। चयन का आधार निम्न हो सकते हैः–

1. स्थानीय निवासियों की सुविधा के अनुसार।
2. विशेष अवसरों और त्यौहारों पर लगने वाले बाजार।
3. सामग्री के आधार पर उदाहरणार्थ– दूध मण्डी, फूल मण्डी, तथा थोक सब्जी मण्डी इत्यादि।
4. समय के आधार पर यथा मन्दिरों, पार्को, सर्किलो इत्यादि के पास निश्चित समय पर पूजा सामग्री, आइस्क्रीम इत्यादि खाद्य पदार्थो की स्टॉलों हेतु।

7. **नई विकसित योजनाओं में स्थानः–**

नई विकसित योजनाओं में 2 से 2.5 प्रतिशत तक के क्षेत्र में स्ट्रीट वैण्डर्स हेतु आरक्षित किया जा सकेगा। योजना तैयार करते समय शहरी हॉकर्स कल्याण समिति की राय भी ली जायेगी ताकि बाजारों का चिन्हिकरण ठीक ढंग से हो सके।

8. **फेरी व्यवसाय रहित क्षेत्र (नो वैन्डिंग जोन):–**

यातायात के खतरों, स्थान के एतिहासिक, पुरातत्व व धार्मिक महत्व तथा जनहित को दृष्टिगत रखते हुए शहरी कल्याण समिति द्वारा किसी भी स्थान को नो वैन्डिंग जोन घोषित किया जा सकता है।

सभी महत्वपूर्ण सार्वजनिक/ऐतिहासिक/दर्शनीय स्थलों से निश्चित दूरी तक हॉकरों को कोई जगह नहीं दी जायेगी। दूरी का निर्धारण शहर कल्याण समिति अपनी बैठक में तय कर सकेगी।

किसी क्षेत्र विशेष के लिये 'नो वैडिंग जोन' का निर्धारण किसी निश्चित तिथि/वार अथवा समय के आधार पर भी तय किया जा सकेगा।

चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थाओं व धार्मिक स्थलों के पास कुछ वस्तु विशेष जैसे – तम्बाकू या समिति द्वारा निर्धारित वस्तुओं/सामग्री के लिए 'नो वैन्डिंग जोन' तय किया जा सकेगा।

शहरी कल्याण समिति के किसी भी निर्णय की समीक्षा कर परिवर्तन का अधिकार राज्य स्तरीय समिति को होगा। 'नो वैन्डिंग जोन' में व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों को राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 के अन्तर्गत अतिक्रमण मानकर निर्धारित प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु नगर पालिका सक्षम होगी तथा इनके परिचय पत्र व पंजीयन निरस्त किये जावेंगे।

9. **हॉकर्स कल्याण समितियाँः–**

फेरी व्यवसायीयों के कल्याणार्थ निम्नांकित स्तर पर कल्याण समितियों का गठन किया जायेगा, जो योजना के क्रियान्वयन पर्यवेक्षण का कार्य करेंगेः–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | प्रमुख अध्यक्ष स्वायत शासन विभाग, विकास समिति | अध्यक्ष |
| 2. | शासन सचिव विकास शासन विभाग | सदस्य |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | शासन सचिव समाज कल्याण समिति | सदस्य | |
| 4. | शासन सचिव हथकरघा विभाग | सदस्य | |
| 5. | शासन सचिव गृह विभाग | सदस्य | |
| 6. | शासन सचिव वाणिज्य एवं उद्योग विभाग | सदस्य | |
| 7. | निदेशक एवं उपशासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग | सदस्य | सचिव |
| 8. | राज्य स्तरीय हॉकर्स समिति के अध्यक्ष | सदस्य | |
| 9. | स्वायत्त शासन संस्था के अध्यक्ष व सचिव | सदस्य | |
| 10. | राज्य स्तरीय व्यापार संगठन के अध्यक्ष | सदस्य | |

2. **नगर निगम हॉकर्स कल्याण समितिः–**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | जिला कलेक्टर | अध्यक्ष | |
| 2. | महापौर | सदस्य | |
| 3. | पुलिस अधीक्षक सम्बन्धित | सदस्य | |
| 4. | मुख्य कार्यकारी अधिकारी | सदस्य | सचिव |
| 5. | स्थानीय विकास प्राधिकरण/विकास न्यास के सचिव | सदस्य | |
| 6. | राजस्थान आवासन मण्डल के आयुक्त द्वारा मनोनीत अधिकारी | सदस्य | |
| 7. | रीको के प्राधिकृत अधिकारी | सदस्य | |
| 8. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य | |
| 9. | जिला शिक्षा अधिकारी | सदस्य | |
| 10. | जिले के अग्रणी बैंक के प्रतिनिधि | सदस्य | |
| 11. | वाणिज्यिक बैंको के प्रतिनिधि | सदस्य | |
| 12. | निगम के वार्ड हॉकर्स समिति के शहर अध्यक्ष | सदस्य | |
| 13. | वार्ड हॉकर्स समितियों के शहर अध्यक्ष द्वारा मनोनीत पांच पदाधिकारी (जिसमें कम से कम दो महिलाये होंगी) | सदस्य | |
| 14. | महापौर द्वारा नामांकित एक रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिऐशन का अध्यक्ष (प्रतिवर्ष रोटेशन से परिवर्तनीय) | सदस्य | |
| 15. | महापौर द्वारा मनोनीत वार्ड कल्याण समिति का एक अध्यक्ष (प्रतिवर्ष रोटेशन से परिवर्तनीय) | सदस्य | |
| 16. | व्यापार महासंघ के अध्यक्ष | सदस्य | |

3. **नगर परिषद/पालिका हॉकर्स कल्याण समितिः–**
(जिला मुख्यालय पर स्थित)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला कलेकटर | अध्यक्ष |
| 2. | सभापति | सदस्य |
| 3. | अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (शहर) | सदस्य |
| 4. | नगरीय विकास क अध्यक्ष (प्रशासन) | सदस्य सचिव |
| 5. | न्यास के सचिव | सदस्य |
| 6. | सभापति द्वारा मनोनीत वार्ड सैक्रेटरी समिति का एक अध्यक्ष | सदस्य |
| 7. | राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के स्थानीय सदस्य | सदस्य |
| 8. | रीको के प्राधिकृत समिति अधिकारी | सदस्य |
| 9. | वार्ड हॉकर्स सतिमतियों का शहर अध्यक्ष व उसके द्वारा मनोनीत 5 सदस्य (जिसमें कम से कम 2 महिलाये होंगी) | सदस्य |
| 10. | अग्रणी बैंक, व्यापारिक बैंको के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 11. | जिला शिक्षा अधिकारी या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 12. | समाज कल्याण अधिकारी या उनका प्रतिनिधि | सदस्य |
| 13. | सभापति द्वारा नामांकित रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिऐशन का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 14. | व्यापार महासंघ के अध्यक्ष | सदस्य |

4. **नगर पालिका हॉकर्स कल्याण समितिः–**
(जिले के अतिरिक्त अन्य नगरों के लिए)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | जिला कलेक्टर द्वारा नामांकित अतिरिक्त जिला कलेक्टर/उपखण्ड मजिस्ट्रेट की रैंक के अधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | नगर पालिका अध्यक्ष | सदस्य |
| 3. | पुलिस उपाधीक्षक/थानाधिकारी (सम्बन्धित) | सदस्य |
| 4. | अधिशाषी अधिकारी | सदस्य |
| 5. | वार्ड हॉकर्स समितिों के शहर अध्यक्ष एवं उनके द्वारा मनोनीत 3 प्रतिनिधि जिसमें कम से कम एक महिला होगी | सदस्य |

| | | |
|---|---|---|
| 6. | निकाय अध्यक्ष द्वारा नामांकित रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिऐशन का एक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | व्यापार महासंघ के अध्यक्ष | सदस्य |
| 8. | अग्रणी बैंक व्यापारिक बैंको के प्रतिनिधि | सदस्य |
| 9. | जिला शिक्षा अधिकारी या उनका मनोनीत प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. | समाज कल्याण अधिकारियों उनका मनोनीत प्रतिनिधि | सदस्य |
| 11. | राजस्थान हाउसिंग बोर्ड के क्षेत्रीय मनोनीत अधिकारी | सदस्य |
| 12. | रीको के क्षेत्रीय अधिकारी | सदस्य |

10. **वार्ड हॉकर्स कल्याण समितिः–**

(केवल नगर निगम व नगर परिषद के लए):– नगर निगमों/नगर परिषदों में कुछ वार्डो का समुह बनाकर वार्ड हॉकर्स कल्याण समितियों का गठन किया जा सकता है जो निगम/परिषद हॉकर्स कल्याण समिति को समय–समय पर सहयोग व सलाह देगी। इसकी आवश्यकता का निर्धारण सम्बंधित निकाय कल्याण समिति करेगी।

11. **राज्य स्तरीय कल्याण समिति के कार्य एवं बैठकः–**

1. राज्य स्तरीय कल्याण समिति वैण्डर्स नीति में संशोधन, परिवर्तन के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी, तथा इसका अनुमोदन राज्य सरकार स्तर पर होगा।
2. राज्य स्तरीय कल्याण समिति की बैठक 3 माह में आवश्यक रूप से होगी।
3. स्थानीय निकाय स्तरीय समिति द्वारा लिये गये निर्णयों की स्वप्रेरणा से अथवा किसी अभ्यावेदन के आधार पर समीक्षा करके अनुसंधान करने अथवा अस्वीकृत करने के लिए अधिकृत होगा।

12. **नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/कल्याण समितियों के अधिकार व कार्यः–**

1. हॉकर्स के लिए क्षेत्र का चयन व सीमांकन।
2. हॉकर्स को पंजीकरण, परिचय पत्र जारी करना।

3. वार्षिक शुल्क व मासिक शुल्क की वसूली व कोष का नियंत्रण।
4. वैण्डिंग/नोन वैण्डिंग जोन का निर्धारण
5. वैण्डिंग जोन में साफ सफाई व सुविधाओं की व्यवस्था।
6. लेखों की समीक्षा।
7. वैण्डर्स को माईक्रो फाइनेन्सिंग के लिए समन्वय।
8. वैण्डर्स की सामाजिक सुरक्षा व कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन व समन्वय।
9. पंजीबद्ध हॉकरों का स्वंय सहायता समूह गठिन करने में सहयोग करना व व्यवसाय संचालन के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिए समन्वय व सहयोग करना।
10. राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से हॉकर्स स्वंय सहायता समूह व पंजीकृत हॉकर्स को सहायता दिलवाने में सहयोग करना।
11. सामाजिक बुराई के विरूद्ध चेतना जाग्रत करना।
12. वैण्डर्स व बच्चों को शिक्षा के लिए प्रेरित करना।
13. बाल श्रमिकों के बारे में अपेक्षित कानूनी कार्यवाही करना।
14. व्यवसाय के सुचारू संचालन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करवाना।
15. शहरी निकाय व यातायात नियमों के बारे में व्यवसायियों को जानकारी देना व जागरूक करना।
16. किसी व्यवसायी/फुटकर विक्रेता/हॉकर्स द्वारा परिचय पत्र की शर्तो के उल्लंघन पर शास्ती लगाना, उसका परिचय पत्र निलम्बन व निरस्त करना।

13. <u>निकाय कल्याण समिति की बैठकः–</u>

1. निकाय हॉकर्स कल्याण समिति की बैठक 3 माह मं कम से कम एक बार आयोजित की जावेगी।
2. बैठक का एजेण्डा अध्यक्ष कल्याण समिति द्वारा हॉकर्स समिति के अध्यक्ष से विचार विमर्श कर ततय किया जावेगा।
3. सदस्यों को वेतन को सप्ताह पूर्व पहुंचना सुनिश्चित किया जायेगा।

4. अपरिहार्य व आपात परिस्थितियों में सूचना/नोटिस पर बैठक बुलाई जा सकेगी जिसके लिए एजेण्डा होना आवश्यक है।
5. बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 1/3 होगा।
6. बैठक की कार्यवाही विवरण लिखने का दायित्व सदस्य सचिव का होगा जिसकी पुष्टि आगामी बैठक में की जायेगी।
7. बैठक कार्यवाही विवरण बैठक समाप्ति के तीन दिवस में जारी की जावेगी।
8. किसी विषय पर राज्य स्तरीय का निर्णय निकाय समिति के लिए बाध्यकारी होगा।

14. **पर्यवेक्षण एवं नियंत्रणः–** निकाय कल्याण समिति को पर्याप्त शक्तियां उपलब्ध कराई जायेगी। शहरों में इस योजना के क्रियान्वयन व समन्वय का उत्तरदायित्व सम्बंधित स्थानीय निकाय का होगा। जिले की सभी निकायों की अर्न्तविभागीय/कठिनाईयों के लिए जिला कलेक्टर समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य स्तर पर पर्यवेक्षण व नियंत्रण राज्य स्तरीय कल्याण समिति करेगी। किसी भी विवाद की स्थिति में अन्तिम निर्णय राज्य स्तरीय समिति का होगा।

15. **शास्ती व अपराध शमन :–** जो कोई इस नियमावली में दिये गये किसी उपबन्धों का उल्लंघन करेगा उसे पहली बार उल्लंघन पर 200/– रूपये शास्ती, द्वितीय बार उल्लंघन पर 500/– रूपये, तृतीय बार उल्लंघन पर परिचय पत्र निलम्बित कर सुनवाई के बाद निरस्त किया जा सकेगा इसके बाद एक वर्ष तक पुनः परिचय पत्र नहीं ले सकेगा। यह कार्यवाही राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 203 में की जाने वाली कार्यवाही के अतिरिक्त होगी। परिचय पत्र निलम्बन व निरस्तीकरण के आदेश का अधिकार अधिशाषी अधिकारी को होगा।

16. **पंजीबद्ध हॉकरों का स्वंय सहायता समूह गठित करना एवं हॉकर्स के लिए कल्याणकारी योजनाओं से समन्वयः–**

1. हॉकर्स क्षेत्र अथवा व्यवस्था के आधार पर स्वंय सहायता समूह बना सकेंगे।
2. इन स्वंय सहायता समूहों को जन साथी रोजगार योजना स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना से पात्रता के आधार पर लाभान्वित किया जायेगा।

3. समूह के सदस्यों को व्यवसाय संचालन के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण अथवा विभिन्न योजनान्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के बारे में अधिशाषी अधिकारी नगर निकाय द्वारा जानकारी व सहयोग दिया जावेगा।
4. स्थानीय निकाय कल्याण समिति द्वारा इन स्वंय सहायता समूह के कार्यो में सहयोग व समन्वय किया जायेगा।

17. **<u>हॉकर्स का समूह बीमाः–</u>**

शहरी कल्याण समिति से पंजीबद्ध हॉकरों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से समन्वय कर समूह बीमा योजना से सम्बन्धित करवाने की कार्यवाही की जावेगी और यदि हितग्राही किसी अन्य योजना के तहत बीमित हो तब भी इस योजना के तहत ऐसे व्यक्तियों को समूह बीमा योजना में सम्मिलित किया जा सकेगा। समूह बीमा हेतु हॉकर्स समिति समन्वय व सहयोग करेगी। इस हेतु नगर पालिका अधिकारी (समिति का सदस्य सचिव) नोडल अधिकारी होगा।

## प्रपत्र–अ
## फेरी व्यवसाय हेतु सर्वेक्षण/प्रार्थना प्रपत्र

**स्थानीय निकाय का नाम .....**

1. व्यवसायी का नाम .....
2. पिता/पति का नाम .....
3. निवास का पता .....

.....

4. मूल निवास छोडने का कारण .....
5. व्यवसायी की आयु ..... लिंग .....
6. शैक्षणिक योग्यता .....
7. वर्तमान व्यवसाय का विवरण .....

| व्यवसाय का नाम | व्यवसाय का स्थान | व्यवसाय का अनुभव | व्यवसाय में संलग्न होने की तिथि | व्यवसाय में पूंजीनिवेश की धनराशि | अन्य |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

8. वांछित व्यवसाय जितसके लिये पहचान पत्र वांछित है। अ. .....ब.....स.....
9. फेरी व्यवसाय के अतिरिक्त शेष समय में क्या व्यवसाय करता है ? .....
10. व्यवसाय से औसत प्रतिदिन की आय ..... मासिक.....वार्षिक आय .....
11. व्यवसाय में पूंजी किस स्त्रोत से लगाई गई है ? .....
12. (अ) क्या व्यवसाय हेतु ऋण लेने का इच्छुक है ? .....

    (ब) यदि हां तो चाही गई धनराशि .....

    (स) अदायगी कितनी मासिक किस्तो में चाहते है .....
13. व्यवसाय हेतु इच्छित स्थान .....
14. वर्तमान में व्यवसाय करने पर क्या कठिनाई आ रही है ? .....

15. फेरीवाले द्वारा कठिनाई निवारण हेतु दिया गया सुझाव .....

16. व्यवसायी के खिलाफ भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कोई मुकदमा अथवा एफ.आई.आर. दर्ज तो नहीं है यदि हैं तो उसका विवरण .....

17. **परिवार के सदस्यों का विवरणः–**

| क्रमांक | नाम | उम्र | सम्बन्ध |
|---|---|---|---|
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |

18. नामित व्यक्ति का विवरण .....

19. बी.पी.एल. सूची में नाम है ? .....

20. व्यवसायी की श्रेणी (विधवा/परित्यक्ता/विकलांग/एस.सी./एस.टी./ओ.बी.सी./अन्य)
.....

21. अन्य विवरण .....
.....
.....

**हस्ताक्षर सर्वेकर्ता** **हस्ताक्षर व्यवसायी**

**नामः .....** **नामः .....**

**प्रपत्र–ब**

**स्थानीय निकाय का नाम .....**

## फेरी व्यवसाय हेतु परिचय–पत्र

1. आवेदक का नाम .....

2. परिवार के सदस्यों के नाम व उससे सम्बन्ध .....
.....

3. पिता/पति का नाम .....

4. निवास का पताः .....
.....
.....

5. व्यवसायी की आयु ..... लिंग .....

6. नामांकित व्यक्ति .....

7. व्यवसाय का नामः अ ..... ब.....स.....द.....

8. व्यवसाय का स्थान तथा समय .....

9. पंजीकरण संख्या .....

10. अन्य विवरण .....

11. परिचय पत्र की अवधिः– दिनांक ..... से ..... तक

**हस्ताक्षर**
**प्राधिकृत अधिकारी**